भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3004
दिनांक 08 अगस्त, 2023 / 17 श्रावण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

अवैध हिरासत

†3004. डॉ. ए. चेल्लाकुमारः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2014 से आज की तिथि तक अवैध रुप से हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या वर्ष-वार कितनी है;
(ख) 2014 से आज तक वर्ष-वार अवैध रुप से हिरासत में लिए गए जिन व्यक्तियों को बरी होने पर सरकार से मुआवजा प्राप्त हुआ है, उनका ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मंत्रालय, 2018 में भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार अवैध हिरासत के मामलों में मुआवजे के भुगतान को नियमित करने हेतु एक कानून बनाने की योजना बना रहा है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): विभिन्न कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों द्वारा कानून के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार ही हिरासत में लिया जाता है । राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) और (घ): गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 111वीं, 128वीं और 146वीं रिपोर्ट में संबंधित अधिनियमों में टुकड़ों में संशोधन लाने के बजाय देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा की सिफारिश की है। गृह मंत्रालय ने सभी हितधारकों के परामर्श से आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

******